सम्पर्क :

अंग्रेजी प्रकाशन :

रूपचन्द मखनोत्रा

209, अशोक विहार, जानीपुर, जम्मू सिटी (जम्मू-कश्मीर) भारत

फोन : 0091-9419116969

E-mail: rcmakhnotra@yahoo.co.in

हिन्दी प्रकाशन :

घनश्याम डेमोक्रेट

23/864, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर - 342 008 (राजस्थान) भारत

फोन : 0091-94148-64548

E-mail : ghan_demo@yahoo.co.in

पंजाबी प्रकाशन :

सुखदेवसिंह भूपाल

गाँव-भूपाल, डाक-मत्ति, जिला-मानसा, पंजाब (भारत)

फोन : 0091-9915342232

E-mail: sukhdev.nhcpm@gmail.com

अन्य भाषाओं का प्रकाशन :

सज्जनकुमार

डी-13-14, ऑफिसर्स कॉलोनी, एस.बी.बी.जे. ट्रेनिंग सेन्टर के सामने,

सागर रोड, बीकानेर (राजस्थान) भारत

फोन : 0091-9001826467

E-mail: sajjankumarnhcpm@gmail.com

log on: www.nhcpm.org / www.nhcp.com

नेचर-ह्यूमन सेन्ट्रिक व्यूपाइंट प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोन द्वारा प्रकाशित
एवं जांगिड़ कम्प्यूटर्स, जोधपुर से मुद्रित



अंक : 180
प्रथम संस्करण फरवरी, 2003
द्वितीय संस्करण अगस्त, 2017

सम्पादक : **आर. पी. सराफ**

प्रकृति–मानव केन्द्रित जन आन्दोलन

(एन एच सी पी एम)

का

प्रोग्राम एवं संविधान

विषय सूची

1. प्रकृति–मानव केन्द्रित जन आन्दोलन क्यों ? ... 1
2. प्रकृति–मानव केन्द्रित जन आन्दोलन का प्रोग्राम ... 1
3. प्रकृति–मानव केन्द्रित जन आन्दोलन का परिप्रेक्ष्य ... 11
4. प्रकृति–मानव केन्द्रित जन आन्दोलन के चार स्तरीय मुख्य कार्य ... 11
5. प्रकृति–मानव केन्द्रित जन आन्दोलन का संगठनात्मक ढांचा ... 12
6. प्रकृति–मानव केन्द्रित जन आन्दोलन की संगठनात्मक शैली ... 12
7. प्रकृति–मानव केन्द्रित जन आन्दोलन के मुख्य कार्य को लागू करने की गतिविधि ... 13
8. यही काम करने का समय है ... 16

सहयोग राशि : 20 रुपये

प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन का प्रोग्राम व संविधान

I. प्रकृति-मानव केन्द्रित जन-आन्दोलन (एन एच सी पी एम) क्यों?

1. उपर्युक्त जन-आन्दोलन की आवश्यकता वर्तमान मूलभूत विश्व वास्तविकता से पैदा होती है जहाँ मानव जाति को (अन्य जैव-घटनाक्रम की तरह) एक तरफ संगीन पर्यावरणीय जोखिम और दूसरी तरफ अति गम्भीर सामाजिक संकट द्वारा चुनौती दरपेश है। जीवन-मरण का ऐसा मुद्दा हम पर ऐसे जन-आन्दोलन के निर्माण की जिम्मेदारी डालता है, जो पर्यावरणीय-जैविक संकट को एक वास्तविक प्रत्युत्तर देकर इसे समाप्त करने और लोगों को इसके प्रोग्राम में शामिल करने तथा संगठित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. **प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन एक स्वयंसेवी (स्वैछिक) संगठन है** जो अपनी गतिविधियों के लिए किसी भी सरकारी या कोई अन्य बाहरी व आन्तरिक एजेन्सी से किसी तरह के अनुदान या वित्तीय सहायता पर निर्भर नहीं है। यह सम्पूर्ण जरूरी धनराशि को अपने सदस्यों, हमदर्दों और जीवन के सभी क्षेत्रों में न्यायप्रिय व तर्कसंगत लोगों से इकट्ठा करता हैं।

3. यह बड़ी प्रचार गतिविधियों या सम्मेलनों जैसी विशिष्ट पहलकदमियों के लिए जनता से चन्दा करता है।

II. प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन का प्रोग्राम

(क) विद्यमान मूलभूत विश्व वास्तविकता

4. विद्यमान मूलभूत विश्व वास्तविकता को प्रारम्भिक बिन्दु मानते हुए यह प्रोग्राम मानता है कि आज मानव समुदाय अपने इतिहास के अति गम्भीर चौराहे पर खड़ा है। अति गम्भीर पर्यावरणीय-जैविक (मानव सहित) संकट से सामान करते हुए मानव को निर्णय करना है कि वह किस मार्ग पर जाए। **यह चौराहा इसे केवल दो विकल्प देता है-जीवित रहना या विलुप्त होना। यहाँ तीसरा कोई रास्ता नहीं है।**

5. पर्यावरणीय मोर्चे पर, ग्रीन हाउस गैसों की निरन्तर बढ़ रही मात्रा, घट रहे वैश्विक जल संसाधन, बड़े स्तर पर जंगलों का विनाश, 60 प्रतिशत से अधिक कृषि योग्य भूमि की गिरावट, बहुत-सी जैव प्रजातियों के लुप्त होने और अन्य प्राकृतिक

उत्पादों के गैर-टिकाऊ उपयोग ने मानव जाति सहित समस्त जैव-जगत के सामने अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। वैज्ञानिक समुदाय हमारे पर्यावरणीय पहलू की बिगड़ती अवस्था को काफी समय से उजागर कर रहा है। विभिन्न पर्यावरणीय मसलों पर कई जाने-माने वैज्ञानिकों ने बड़ी संख्या में रिपोर्टें प्रसारित की हैं। इनमें से कई रिपोर्टें ऐसी हैं जो इस संकट के परिपक्व होने की समय-सीमा की गणना पेश करती हैं, जिनमें से दो का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें से एक सन् 2000 में विश्व के सुप्रसिद्ध 6000 वैज्ञानिकों की दी गई चेतावनी है जिसमें जोर दिया गया कि अगर मानव समुदाय ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन जल्द से जल्द नहीं रोका तो 21 वीं सदी के अन्त तक वैश्विक उष्माकरण (ग्लोबल वार्मिंग) की वजह से यह पृथ्वी जैव-जीवन के लायक नहीं रहेगी। दूसरी रिपोर्ट सन् 2002 की संयुक्त राष्ट्र के विश्व वन्य जीवन संस्थान का अध्ययन है जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर मानव समुदाय (खासकर धनवान देशों और धनवान लोगों ने) अपनी असंयमी और अपव्ययी जीवन-शैली को नहीं बदला तो 50 वर्षों में हमारा ग्रह पृथ्वी मानव जीवन के लिए गैर-टिकाऊ जगह बन जाएगी। अन्य वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो इस संकट की समय-सीमा तो तय नहीं करते, परन्तु यह स्वीकार करते हैं कि पर्यावरणीय हालात अत्यधिक चुनौती भरे हैं।

6. **मानव विकास के धरातल पर** मानवीय विकास से सम्बन्धित लगभग सभी वैश्विक संस्थान, यानि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि अब हमारे विद्यमान विकास मॉडल की गैर-टिकाऊ पद्धति पर जोर दे रहे हैं जो मुख्यत: असहनीय असमानता, गैर-समता, गरीबी और अन्याय से परिलक्षित होती है। संयुक्त राष्ट्र 2002 की मानव विकास रिपोर्ट जाहिर करती है कि दुनिया के अत्यधिक धनी 1 प्रतिशत की आय दुनिया के निर्धनतम 75 प्रतिशत से अधिक है। सन् 2001 यू एन मानव विकास रिपोर्ट में लिखा है कि विकासशील देशों में 4.6 बिलियन (460 करोड़) लोगों में से 850 मिलियन (85 करोड़) से अधिक लोग अनपढ़ हैं, 1 बिलियन (100 करोड़) के आसपास शुद्ध पानी के स्त्रोतों से वंचित है और 2.4 बिलियन (240 करोड़) लोगों को बुनियादी शौच सुविधाएँ हासिल नहीं है। करीब 325 मिलियन (32.5 करोड़) लड़के लड़कियाँ स्कूल नहीं जाते हैं और पाँच साल से कम उम्र के 11 मिलियन (1 करोड़ 10 लाख) बच्चे हर साल संक्रामक रोग से मर जाते हैं, यह संख्या प्रतिदिन 30 हजार से अधिक बैठती है। 1.2 बिलियन (120 करोड़) लोग प्रतिदिन 1 डालर से कम पर गुजारा करते हैं। (1993 पी पी पी यू एस डालर) और 2.8 बिलियन (280 करोड़) लोग

प्रतिदिन 2 डालर से कम पर गुजारा करते हैं। यह वंचितपन विकासशील देशों तक सीमित नहीं है। ओ ई सी डी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) देशों में 130 मिलियन (13 करोड़) लोग गरीब हैं, 34 मिलियन (3 करोड़ 40 लाख) बेरोजगार हैं तथा प्रौढ़ों में औसतन अशिक्षा की दर 15 प्रतिशत है। यह रिपोर्ट आगे कहती है कि अमेरिका में सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगों (करीब 2.5 करोड़) की संयुक्त आय दुनिया के 43 प्रतिशत गरीब लोगों (करीब 200 करोड़) की आय के बराबर थी। 1999 की मानव विकास रिपोर्ट कहती है कि 1990 के दशक के अन्त में अधिकतम आय वाले दशों में रहने वाली विश्व की 20 प्रतिशत आबादी विश्व जी डी पी के 86 प्रतिशत की मालिक है, जबकि विश्व की सबसे निचली (गरीब) 20 प्रतिशत आबादी केवल मात्र 1 प्रतिशत आय की मालिक है, इसी तरह विश्व निर्यात बाजार के 82 प्रतिशत पर 20 प्रतिशत अमीर आबादी का कब्जा है, जबकि निचली 20 प्रतिशत आबादी के नियंत्रण में 1 प्रतिशत हिस्सा है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में उपर्युक्त अमीर आबादी का हिस्सा 68 प्रतिशत के मुकाबले गरीब आबादी का हिस्सा 1 प्रतिशत है और आज संचार के आधारभूत साधन विश्व की टेलिफोन लाइन के 74 प्रतिशत हिस्से का उपयोग उपर्युक्त अमीर आबादी करती है जबकि निचली 20 प्रतिशत आबादी मात्र 1.5 प्रतिशत लाइन का उपयोग करती है। 1996 की संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट कहती है कि विश्व के अधिकतम धनी केवल 3 लोगों की कुल सम्पत्ति अल्पतम विकासशील 48 देशों की संयुक्त जी डी पी (सम्पत्ति) के बराबर है। विश्व के अधिकतम धनी 225 लोगों की संयुक्त सम्पत्ति 1 ट्रिलियन (1000 अरब) डालर है जो 47 प्रतिशत गरीब लोगों (जिनकी संख्या 250 करोड़ बनती है) की कुल आय के बराबर है। विश्व के अधिकतम धनी 32 लोगों की सम्पत्ति दक्षिण एशिया (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव) तथा ईरान व अफगानिस्तान की जी डी पी (सकल घरेलू उत्पाद) से अधिक है।

रुचिकर बात यह है कि एक विशेषज्ञ के अनुमान के अनुसार नई दिल्ली के मुगल बादशाहों (जैसे जहांगीर, शाहजहाँ आदि) की आय अपनी सत्ता के उच्चतम काल में वर्तमान कीमतों के अनुसार 15000 रुपये वार्षिक हुआ करती थी।

7. **उभर रही विश्व व्यवस्था पर प्रभुत्व व नियंत्रण के लिए अमेरिकी आक्रामक गतिविधियों के संबंध में** स्थिति यह है कि अमेरिका विश्व का सार्वभौमिक सिपाही बनने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में इसकी अकेले सैनिक सफलता से यह और अधिक युद्धखोर और एकलवादी बन गया है। अब इसने अपने ही द्वारा आरोपित विश्व आतंकवाद के खिलाफ सतत युद्ध की घोषणा कर दी है

जबकि आतंकवाद को न तो संयुक्त राष्ट्र ने और ना ही इसके किसी सदस्य ने परिभाषित किया है। इसकी आक्रामक गतिविधि के पहले निशाने में तथाकथित 'दुष्ट-राज्य' यानि ईराक, ईरान, उत्तर कोरिया शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं और जिन्हें किसी भी तर्क से आतंकवादी नहीं ठहराया जा सकता। हालिया घोषित अमेरिकी आक्रामक योजना को चीन, रूस और यूरोपीय समुदाय सहित समस्त विश्व ने नकारा है। परन्तु अमेरिका विश्व पर अपनी हुक्मरानी स्थापित करने के लिए नई युद्ध परियोजना शुरू करने के अपने इरादे के प्रति नरम नहीं पड़ा है।

8. **रूढ़िवादी रूझानों** की तरफ नजर डालें तो भिन्न-भिन्न किस्मों के धार्मिक रूढ़िवाद विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच घृणा पैदा कर रहे हैं और लोगों की मानसिकता को धर्मोन्मादी बना रहे हैं। स्वतंत्र बाजार दर्शन गरीब और अमीर के बीच न पाटे जा सकने वाली खाई पैदा कर रहा है। राज्य-नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट कल्पना मजदूरों को पिछड़ा और मजदूरी-अभिमुख रख रही है।

9. **दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार और महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों, असंगठित मजदूरों इत्यादि** की बदहाली में वृद्धि से बढ़ रहे खतरे विश्वव्यापी घटनाक्रम बन गये हैं। कोई भी देश इन खतरों से अछूता नहीं है।

(ख) पर्यावरणीय-जैविक संकट के कारण

10. **विद्यमान पर्यावरणीय-जैविक संकट का दीर्घकालीन कारण** कारपोरेट व्यवस्था में निहित है जिसका उद्देश्य अधिकतम लाभ या अधिकतम वृद्धि दर हासिल करना है। उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों धारणाएँ यह स्वीकार करती हैं कि सामाजिक सम्पन्नता और प्रगति को जाँचने का एकमात्र मापदण्ड वृद्धि दर है। अधिकतम वृद्धि दर पाने की अपनी खोज में इन दोनों ने पर्यावरणीय एवं मानवीय विकास के पहलुओं को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। चूँकि धन और सत्ता पाना अधिकतम स्व-हित का प्रतिनिधित्व करता है, सम्पूर्ण दुनिया अब इन दो 'जीवन दायी अमृत' के पीछे भाग रही है।

11. **विद्यमान पर्यावरणीय-जैविक संकट का तात्कालिक कारण** कारपोरेट व्यवस्था को लागू करने वाली संस्था (या सरकार) में निहित है। केवल मात्र आत्म-श्लाघा (या स्व-हित) की दिशा लिए राष्ट्र-सरकारों के नेता (जो प्रत्येक देश में पार्टी व्यवस्था पर आधारित है) अपने लिए जायज या नाजायज तौर पर अथाह धन बटारने एवं सत्ता पर अन्तहीन कब्जा जमाए रखने में लगे हैं, उनको लोगों के हितों अथवा किसी भी पर्यावरणीय-जैविक संकट से कोई लेना-देना नहीं है। उनकी विशिष्ट जीवन-शैली 'कहना कुछ और करना कुछ' है। वे हमेशा गरीबों और वंचितों के

लिए आँसू बहाते हैं, लेकिन हर वक्त अमीर और प्रभुत्वशाली लोगों की सेवा करते हैं।

12. कॉरपोरेट व्यवस्था एवं इसको लागू करने वाली संस्था का प्रथम समाजशास्त्रीय दोष एडम स्मिथवादी तथा मार्क्सवादी विकास मॉडलों (ये दोनों ही मॉडल विश्व के विभिन्न भागों में चल रही राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, जो अब पीछे हट रही है, के दो प्रामाणिक विकास पद्धतियों के रूप में कार्यरत रही है) की एक तरफा दार्शनिक समझ में निहित है। एकतरफा समझ यह है कि प्रकृति की व्यवस्था में अपने ग्रह पर और यहाँ तक कि ब्रह्माण्ड में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ घटनाक्रम है। स्पष्टत: यह लोगों को मानव समाज और इसकी प्रत्येक वस्तु का एकमात्र निर्माणकर्त्ता पेश करता है। यह इस सामाजिक सच्चाई को दरकिनार करता है कि मानव समाज में परिवर्तन और विकास दो तरफा अन्तरक्रिया–एक तरफ प्रकृति और मानव समाज के बीच और दूसरी तरफ मानव समाज के अन्दर अन्तरक्रिया–से होता है।

13. दूसरी समाजशास्त्रीय गलती मानव की प्रकृति के संबंध में एडम स्मिथ और मार्क्सवादी विकास मॉडल की एक तरफा समझ में निहित है। एडम स्मिथ का आर्थिक मॉडल यह मानता है कि मानव जाति की प्रकृति निजी स्वार्थ की है। मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धान्त मनुष्य की प्रकृति के प्रश्न पर दिग्भ्रमित धारणा रखता है। प्रथम, मनुष्य की प्रकृति सामाजिक है इस पर जोर देता है और अगले ही क्षण निरपेक्ष सामाजिक होने के गुण को औद्योगिक सर्वहारा (जो इस सिद्धान्त के अनुसार मानव समाज का मुक्ति दाता है) में तब्दील कर देता है और अन्तिम तौर पर सामाजिकता के समस्त एकाधिकार को कम्युनिस्ट पार्टी में निहित कर देता है। इस दृष्टिकोण के तहत मानव समाज को सामाजिक तौर पर बदलने की क्षमता अकेली कम्युनिस्ट पार्टी में ही समझता है।

14. **वास्तव में, बहरहाल, मानव समुदाय का दुतरफा चरित्र है, एक तरफ जैविक चरित्र और दूसरी तरफ सामाजिक चरित्र। जैविक चरित्र का पहलू मानव समुदाय के व्यक्तिगत अस्तित्व को प्रतिबिम्बित करता है, जबकि सामाजिक चरित्र का पहलू उसके सामाजिक जीवन, कार्यशैली और संगठन को इंगित करता है।**

(ग) विद्यमान पर्यावरणीय-जैविक संकट का वास्तविक जवाब एक प्रकृति-मानव केन्द्रित कार्यक्रम के आधार पर कॉरपोरेट व्यवस्था का पुनर्गठन करने में

15. लक्ष्य : वर्तमान पर्यावरणीय- जैविक संकट का कारण विश्व कॉरपोरेट व्यवस्था को बताते हुए इसका (यानि संकट का) वास्तविक प्रत्युत्तर यह है व हो सकता है कि विश्व कारपोरेट व्यवस्था को एक प्रकृति-मानव केन्द्रित कार्यक्रम के आधार

पर पुनर्गठित (या आधुनिक) किया जाए, जिसके निम्न बिन्दु हैं–

16. दृष्टि : हमारे ग्रह की अखण्ड एवं अन्तरनिर्भर प्रकृति तथा 21वीं सदी की राष्ट्र-राज्य की अन्तरनिर्भर सामाजिक वास्तविकता, प्रकृति-मानव केन्द्रित मॉडल एक विश्व की दृष्टि प्रदान करता है। जबकि 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर सम्प्रभुता व स्वतंत्र राष्ट्र की एक ऐसी दृष्टि देता है जो वर्तमान वास्तविकता के उलट है।

17. मूलभूत सिद्धान्त : ऊपर वर्णित दृष्टि के मूलभूत सिद्धान्त में सर्वप्रथम लोगों एवं पर्यावरण को ग्लोबल क्रियाकलापों के केन्द्र में रखा जाना चाहिये यानि एक तरफ लोगों के हितों की सेवा करना तथा दूसरी तरफ पर्यावरण को संरक्षित करना।

18. विश्वव्यवस्था : प्रकृति-मानव केन्द्रित दृष्टि के मूलभूत सिद्धान्त तथा पर्यावरण-मानव प्राथमिकता मांग करती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक जनवादी आधारित तरीके एवं संगठन के रूप में पुनर्गठित हो। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा आज है, इस गुण की कमी रखता है। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा का ढांचा व कार्यप्रणाली बिल्कुल लोकतांत्रिक है। लेकिन इसकी शीर्ष निर्णयकारी इकाई अर्थात सुरक्षा परिषद जो अत्यधिक अनुचित तथा पूर्ण रूपेण अप्रजातांत्रिक कायदों–जैसे सैनिक दृष्टि से सबसे ताकतवर देशों के लिए स्थायी सदस्यता व विशेष वीटो पावर–से चरित्रित है।

19. स्पष्ट तौर से, इस वक्त, इस संगठन के पूर्ण लोकतांत्रिकरण की किसी भी तरह की कोशिश को पांच सदस्यीय सुविधा क्लब के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान ग्लोबल शक्तिसंतुलन को ध्यान में रखते हुए यह दिखता है कि सुरक्षा परिषद का पूर्ण जनवादीकरण में कुछ और समय लगेगा। थोड़े समय के लिए जब तक चल रहे शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो तब तक स्थायी सदस्यता का नियम रखते हुए विशेष वीटो-पावर का नियम हटा लेना चाहिए। सुरक्षा परिषद की बाकी सभी सीटें साधारण सभा द्वारा चुनाव के जरिए भरी जानी चाहिये।

20. धनवान देशों का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व-बैंक के ऊपर से नियंत्रण कम हो तथा सबसे गरीब देशों को विश्व व्यापार संगठन में अधिक अधिकार दिये जाय।

21. विकास मॉडल : जन-पर्यावरण प्राथमिकता का मूलभूत सिद्धान्त (जो मानव विकास के लिए अनिवार्य है) एक नये प्रकार के विकास मॉडल की मांग करता है। जो पांच स्तरीय बुनियादी सिद्धान्तों यानि, पर्यावरणीय टिकाऊपन (पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं सहित), समता (1:5 की आय भिन्नता एवं उन सभी को जो गरीबी की रेखा के नीचे हो या पूर्ण बेरोजगार हो, जिन्हें किसी ओर से कोई मदद

नहीं हो, को सामाजिक सुरक्षा* का मौलिक अधिकार), उत्पादकता, लोकतांत्रिक और पारदर्शिता पर टिका है। ये पांच स्तरीय बुनियादी सिद्धान्त मानव के जैव-सामाजिक चरित्र से मेल खाते हैं, अर्थात यह मनुष्य के स्वहित को सामाजिक हित से जोड़ता है।

22. जन-पर्यावरण आधारित विकास मॉडल दो रूढ़ीवादी राष्ट्रीय विकास मॉडलों यानि निगम चलित और सरकार निर्देशित की तुलना में विकास की समायानुकूल धारणा प्रस्तुत करता है। निगम चलित विकास मॉडल केवल लाभ या उत्पादकता (जो केवल धन के स्वामियों का हित सुरक्षित करता है) को एक मात्र लक्ष्य बनाता है जबकि सरकार निर्देशित मॉडल उत्पादन के साधनों का एक मात्र उद्देश्य सामाजिकरण (या राष्ट्रीयकरण) को चुनता हैं। (जो शासक राजनीतिज्ञों और अफसरों के हितों की सेवा करता है) ये दोनों पारम्परिक राष्ट्रीय मॉडल मनुष्य के जैव-सामाजिक चरित्र के उलट केवल स्वहित को ही पूरा करते है। जैव-सामाजिक चरित्र स्वहित और सामाजिक हित दोनों को जोड़ता है। फिर, चल रहे दोनों राष्ट्रीय विकास मॉडल पर्यावरण को कोई प्राथमिकता नहीं देते और आर्थिकता अथवा विकास प्रक्रिया में लोकतंत्र और पारदर्शिता के मानदण्डों के पालन को कोई स्थान नहीं देते हैं। आगे जबकि कारपोरेट (निगमित) मॉडल समता (अथवा सामाजिक न्याय) के सिद्धान्त को पूर्णतया अस्वीकार करता है वही सरकार निर्देशित मॉडल राजनीतिक समानता और उत्पादकता को पूर्णतया नकारता है।

23. प्रकृति–मानव केन्द्रित मॉडल कॉरपोरेट चलित और राज्य आधारित दोनों विकास मॉडलों से उनके उद्देश्यों, प्रबंध और शैली के मामलों में भिन्नता रखता है।

24. जबकि कॉरपोरेट मॉडल पूंजी एवं पूंजी के मालिकों को विकसित करने के लिए और राज्य मॉडल इसके शासक राजनीतिज्ञों और अफसरों के साथ मजदूर कुलीनता के हितों को आगे बढ़ाता है। प्रकृति–मानव केन्द्रित मॉडल आमतौर पर लोगों और

* *सामाजिक सुरक्षा का मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा-पत्र द्वारा सुनिश्चित हो, जो सभी देशों के लिए अनिवार्य तौर पर मान्य हो। सामाजिक सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिज्ञा-पत्र को लागू करने के लिए होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा संबंधित राज्य द्वारा तथा 50 प्रतिशत हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा खर्च किया जावे। संयुक्त राष्ट्र महासभा तुरन्त उच्च अधिकार प्राप्त संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास परिषद का गठन करे जो एक तरफ पर्यावरणीय स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा दूसरी तरफ मानवीय संसाधनों का विकास के लिए ग्लोबल ऑथिरीटी की तरह कार्य करे। यह परिषद पर्यावरणीय एवं मानवीय उन्नति के संदर्भ में मूलभूत अन्तर्राष्ट्रीय सुधार लागू करेगी। इस परिषद का वित्तीय प्रबंध (क) प्रत्येक देश के सैनिक बजट का 30 प्रतिशत अनिवार्य बचत से (ख) ग्लोबल टैक्स जैसे विश्व व्यापार, तेल, कोयला, संचार उपग्रह, वायु यातायात, अंटार्टिका खनन, समुद्र तल खनन, महासागरीय यातायात पर टैक्स आदि से आयेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा इस राजस्व को संयुक्त राष्ट्र तथा संबंधित देशों में बांटने की प्रणाली तय करेगी जहां अल्प विकसित देशों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।*

पर्यावरण के हितों की तथा खासतौर पर गरीबों और वंचित तबकों की सेवा पर आधारित है।

25. प्रबंध में जबकि कॉरपोरेट सेक्टर एकाधिकारवादी कॉरपोरेट प्रबंध एवं नियंत्रण का पक्षपोषण करता है और राजकीय क्षेत्र एकाधिकारवादी अफसरशाही प्रबंध एवं नियंत्रण का समर्थन करता है, जबकि प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास मॉडल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लोकतांत्रिक प्रबंध एवं नियंत्रण की मान्यता रखता है।

2 6. शैली में, अधिकनायकवादी और गोपनीय कॉरपोरेट एवं राजकीय शैली के उलट प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास मॉडल लोकतांत्रिक, पारदर्शिता और जवाबदेही की शैली पर आधारित है।

27. प्रकृति-मानव केन्द्रित मॉडल की मान्यता है कि दोनों कारपोरेट एवं सरकारी नेतृत्व वाले मॉडलों का विकेन्द्रीकरण निम्नलिखित कदम उठाकर किया जाना चाहिए।

28. पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में सभी शेयरों को साधारण शेयर करार दिये जाए। इन शेयरों के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने की किसी को स्वीकृति न दी जाए। यद्यपि, किन्हीं विशेष मामलों में सरकार को एक-तिहाई साधारण शेयर रखने की स्वीकृति दी जा सकती है। प्रोमोटर्स शेयरों (कारपोरेट क्षेत्र में अब छाये हुए) को पूर्णतया रद्द किया जाए।

29. पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के प्रबन्ध को पूर्णतया लोकतांत्रिक बनाया जाए। इस मामले में साधारण शेयरधारकों को प्रबंध मण्डल में दो तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाए। बाकी बचा एक-तिहाई प्रतिनिधित्व उस कम्पनी के सम्बन्धित मजदूरों के लिए आरक्षित रखा जाए। मजदूर प्रतिनिधियों का चुनाव आम मजदूरों और कर्मचारियों दोनों से किया जाए, जिन्हें साधारण शेयर धारकों के समान सभी अधिकार होंगे।

30. ऐसे उद्यम जिनमें साधारण शेयरों के एक-तिहाई भाग पर सरकार का नियंत्रण हो, उनके प्रबन्ध मण्डल में सभी शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व निम्न क्रम में रखा जाए-साधारण शेयर धारकों को 50 प्रतिशत, मजदूरों को 33 प्रतिशत सरकार को 17 प्रतिशत।

31. प्रबन्ध मण्डल को तीन साल के काल के लिए चुना जाए।

32. प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास मॉडल का उपर्युक्त वर्णित जनवादी क्षेत्र मोनोपोली वाले कॉरपोरेट और सरकार संचालित दोनों क्षेत्रों की तुलना में कहीं

अधिक उत्पादक (संभवत: दोगुना) होगा। पहले वाले (यानि जनवादी क्षेत्र) की वृद्धि दर (या सम्पदा उत्पादन की दर) अधिक होने का कारण इसके (यानि प्रकृति-मानव केन्द्रित मॉडल के) अत्यधिक विकसित मानवीय और पर्यावरणीय संसाधनों में निहित है। इस मॉडल में मानवीय और पर्यावरणीय संसाधनों के अति विकास का कारण इसके द्वारा 1:5 के अन्तर के साथ समतावादी आय सुनिश्चित करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में सब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने, इसके द्वारा लोगों व पर्यावरण को मुख्य प्राथमिकताओं में रखने के मूलभूत सिद्धान्त, विश्व शान्ति और सुरक्षा के प्रति इसकी वचनबद्धता, इसके द्वारा गांव से लेकर विश्व स्तर तक और अन्य सभी आर्थिक, वित्तीय और व्यापारिक वैश्विक संगठनों में लोगों (खासकर महिलाओं, मजदूरों और वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों) के सशक्तिकरण करने, इसकी वास्तविक और तर्कसंगत आर्थिकता तथा इसके मानवीय व पर्यावरणीय सांस्कृतिक मूल्यों में निहित है।

33. सरकार-नियंत्रित क्षेत्र की अव्यावहारिकता को पहले के सोवियत संघ के पतन में और इस मॉडल को विश्व के भूतपूर्व समाजवादी देशों द्वारा नकारने में देखा जा सकता है। कारपोरेट क्षेत्र के गैर-प्रभावित होने को भी लगातार बढ़ रही असमानता, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बेघरबारता और सबसे ऊपर संसार भर में कॉरपोरेट मॉडल के निरन्तर गैर-टिकाऊ संकट (कभी यहाँ और कभी वहाँ घटित होने वाले संकट) में देखा जा सकता है।

34. पर्यावरणीय और मानवीय मसलों पर मानव समूह (या लोगों) के नियंत्रण या प्रबन्ध की बढ़ती मांग और भूमिका दर्शाती है कि मानव समाज किस दिशा में बढ़ रहा है।

35. कारपोरेट क्षेत्र के हालिया अख्तियार किये सामाजिक जवाबदेही और नैतिक व्यवहार के दर्शन से भी जाहिर होता है कि कारपोरेट क्षेत्र के लोक कल्याण के मूलभूत सिद्धान्त कारगर नहीं रहे हैं, जिससे आर्थिक विकास प्रक्रिया (जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लाभ है) में प्रत्येक सामाजिक क्षतिपूर्ति की उपेक्षा की जाती है।

36. विश्व शांति और सुरक्षा : एक प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास मॉडल को सर्वप्रथम स्थायी और टिकाऊ शांति एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार की शांति की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि प्रभुत्व, विशेषाधिकार एवं विशेष शक्तियों की राजनीति को छोड़ा जाये, परमाणु शस्त्रों पर पूरा नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र का करके पूर्ण निशस्त्रीकरण द्वारा टकराव और सैनिक समाधान की नीति को समाप्त किया जाये, राजनीतिक, आर्थिक तथा विकसित एवं विकासशील देशों के बीच

विकास का फर्क एवं अमीर और गरीब के बीच खाई को हटाया जाये।

37. राजनीति : प्रकृति-मानव केन्द्रित राजनीति को एक ऐसी राजनीति की आवश्यकता है जो पूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धान्तों, गतिविधियों और ढांचे पर आधारित हो। इस प्रकार की राजनीति संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में विशेष वीटो शक्तियों के कानून को समाप्त करे और निर्णय लेने में लोगों का अधिकतम संभव सशक्तिकरण को सुनिश्चित करे तथा वर्तमान मानव समाज में गांव से लेकर राष्ट्रीय राज्य और संयुक्त राष्ट्र संघ तक पार्टी-केन्द्रित शक्ति का आवश्यक मात्रा में कमी करे।

38. आर्थिकता : प्रकृति-मानव केन्द्रित आर्थिकता एक तर्कसंगत और वास्तविक आर्थिकता की मांग करती है, जिसकी धारणाएं, कानून और नियम पहले बताये गये 2 उच्च प्राथमिकताओं (यानि, मानव जाति और पर्यावरण) तथा 5 सिद्धान्तों (यानि पर्यावरणीय टिकाऊपन, समता, उत्पादकता, लोकतंत्र तथा पारदर्शिता) की रोशनी में बनाये जाने की आवश्यकता है। मानव जाति की जैव-सामाजिक प्रकृति के मध्यनजर, दोनों, एडम स्मिथ का 'स्वहित' मूलभूत आर्थिक सिद्धान्त और मार्क्स का प्रत्येक चीज का राज्य राष्ट्रीयकरण का बुनियादी आर्थिक नियम, एकतरफा है। लेकिन विडम्बना है कि दोनों मॉडल विकास, समृद्धि और उन्नति को मौद्रिक वृद्धि के रूप में मापते हैं न कि मानव और पर्यावरण विकास के सन्दर्भ में।

39. मूल्य व्यवस्था : प्रकृति-मानव केन्द्रित मूल्य व्यवस्था एक ऐसे जीवन के तरीके (या जीवन शैली) की मांग करती है जो बुनियादी मानवीय एवं पर्यावरणीय मूल्यों को समाहित करे और लोगों में तर्क संगत मानवतावादी एवं पर्यावरणीय सोच, व्यवहार व संगठन को बढ़ावा दे।

40. अवधारणा : प्रकृति-मानव केन्द्रित अवधारणा को वैज्ञानिक वास्तविकतावाद पर आधारित होना चाहिये जो प्रकृति के घटनाक्रम का अध्ययन एवं व्याख्या वैज्ञानिक तथ्यों की रोशनी में तथा सामाजिक घटनाक्रमों का अध्ययन एवं व्याख्या मान्यता प्राप्त सूचना एवं आकड़ों के आधार पर करता है।

41. सार-संक्षेप में उपर्युक्त कार्यक्रम न केवल पर्यावरण एवं मानव संसाधनों के कारपोरेट कुप्रबन्ध द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाता है, बल्कि उनका (यानि, प्रकृति एवं मानव संसाधनों का) भविष्य में न्यायपूर्ण उपयोग करने की राह भी दिखाता है। इस सब से ऊपर, इस कार्यक्रम को लागू करना नई उभर रही प्रकृति-मानव केन्द्रित व्यवस्था में तर्कसंगत मानव एवं एक विवेकपूर्ण और संवेदनशील मानव समाज के क्रमिक विकास के लिए

अत्यधिक समुचित हालात पैदा करता है।

42. प्रकृति-मानव केन्द्रित व्यवस्था पर्यावरणीय हितों के साथ मानवीय मसलों को जोड़ने वाली एक विश्व व्यवस्था होगी, एक विश्व जो पर्यावरणीय मानवीय आवश्यकता के अनुकूल होगा न कि मानवीय लालच अभिमुख, एक विश्व जो युद्धविहीन और सीमाविहीन होगा, एक विश्व जो टिकाऊ, समता, उत्पादकता, लोकतंत्र एवं पारदर्शिता के विकास मॉडल पर आधरित होगा जो आय में केवल मात्र 1:5 के अन्तर को स्वीकृति देगा तथा सभी वंचित, गरीब, बेरोजगार आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा एक मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेगा तथा एक विश्व जो पर्यावरणीय एवं मानवीय मूल्यों द्वारा पहचाना जाएगा। व्यवस्थागत परिवर्तन का समय आ चुका है। आइए, हम इस अवसर को हाथ से जाने न दें।

III. प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन (एनएचसीपीएम) का परिप्रेक्ष्य

43. सभी चीजों पर पर्यावरणीय-मानवीय नजरियें से दृष्टिपात करना।

IV. प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन के चार-स्तरीय मुख्य कार्य

44. पहला, लोगों में प्रकृति-मानव केन्द्रित जागृति को तीव्रता से फैलाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। जनजागृति के स्तर को जनप्रेरणा के स्तर तक बढ़ाया जाए और इस जनप्रेरणा को लोगों के तर्कसंगत सोच के स्तर में परिवर्तित किया जाए तथा अन्ततः एक तर्कसंगत मानव एवं प्रकृति–मानव केन्द्रित मानवीय समुदाय के स्तर पर विकसित करने की कोशिश की जाए। यह प्रक्रिया सर्वप्रथम स्वयं से शुरू की जाए।

45. दूसरा, विशेषतौर पर लोगों में प्रकृति–मानव केन्द्रित कार्यक्रम की धारणा को लोकप्रिय बनाया जाए जिससे लोग सही व गलत का फर्क करने के योग्य बन सकें।

46. तीसरा, आम तौर पर उन असूलों पर चला जाए ताकि हम जो कुछ भी करें, वह हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाए।

47. चौथा, जनता में आशावाद की भावना को विकसित किया जाए एवं इस भावना को उस स्तर तक बढ़ाया जाए, जिससे लोगों में यह आत्मविश्वास बने कि वे मौजूदा गैर टिकाऊ विश्व को बदल सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर

सकते हैं।

V. प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन का संगठनात्मक ढाँचा

48. प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन का सात स्तरीय ढाँचा है–

(क) सदस्यता : जो कोई भी इसके कार्यक्रम, संगठनात्मक शैली एवं नियमों को स्वीकार करता है वह इसका सदस्य बन सकता है। यहाँ, वंचित, गरीब, बेरोजगार, नेक और समझदार लोगों को सदस्य बनाने की आवश्यकता है। (ख) गाँव/शहर के वार्ड स्तर की इकाइयाँ (ग) पंचायत स्तर की इकाइयाँ एवं (घ) तहसील (या ब्लॉक) (ड) जिला (च) राज्य व (छ) राष्ट्रीय स्तर की इकाइयाँ गठित करना। प्रत्येक इकाई निम्न पदाधिकारियों से गठित है-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष।

VI. प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन की संगठनात्मक शैली

49. प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन की शैली निम्न सिद्धान्तों पर आधारित होगी-

50. सिद्धान्त को व्यवहार से जोड़ा जाए एवं इसके विपरीत व्यवहार को सिद्धान्त से जोड़ा जाए।

51. साधनों को साध्य से जोड़ा जाए एवं इसके विपरीत साध्य को साधनों से जोड़ा जाए।

52. सचेत रहकर अपने अहम को प्रबन्धित किया जाए जिससे हर जगह शालीनतापूर्ण व्यवहार हो।

53. हर परिस्थिति में न्यायसंगत रहा जाए।

54. सभी किस्म की गतिविधियों में लोकतांत्रिक शैली अपनाई जाए।

55. सभी प्रकार की गतिविधियों में शान्तिपूर्ण तरीके लागू करने के सिद्धान्त को अपनाया जाए, विवादों को बातचीत और विचार-विमर्श के तरीके से सुलझाया जाए।

56. निर्णय लेने में मुख्य तरीका आम सहमति का रखा जाए।

57. ऊपर से लेकर नीचे तक सभी संगठनात्मक इकाइयों का चुनाव किया जाए। हर वर्ष चुनाव करवाए जाएं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर एक बार से अधिक नहीं रह सकता।

58. सभी स्तरों पर स्वतंत्र एवं खुलकर बहस की जाए।

59. आम दिशा तय करने एवं उसे लागू करने में सभी सदस्यों को शामिल करना सुनिश्चित किया जाए।

VII. प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन के मुख्य कार्य को लागू करने की गतिविधि

60. ऐतिहासिक अनुभव दर्शाता है कि प्रत्येक जन आन्दोलन को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट जनजागृति, प्रेरणा एवं चेतना की आवश्यकता होती है। हमारे इस आन्दोलन ने भी उपर्युक्त ऐतिहासिक स्वीकृत मांग को किसी भी जन आन्दोलन की सफलता के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य के तौर पर अपनाया है।

(अ)

61. हमारी राय में आज के समय में जनजागृति को बढ़ाने के लिए दो चीजें अति आवश्यक हैं-

(क) अपने प्रकृति-मानव हितैषी कार्यक्रम के बारे में पर्याप्त समझ रखना (किसी भी प्रश्न का जवाब देने लायक) तथा (ख) सामाजिक चेतना, विशिष्ट समस्याओं, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं, सांस्कृतिक मूल्यों एवं हमारे निश्चित श्रोताओं, लक्षित सामाजिक समूह या व्यक्ति की प्रचलित मन: स्थिति के बारे में काफी ज्ञान होना।

62. यहाँ, दृढ़ता पूर्वक दिमाग में रखना आवश्यक है कि वर्तमान में जन चेतना का स्तर, सामाजिक सही और सामाजिक गलत का निर्णय लेने के लिए आम तौर पर, एक तीन तरफा गलत मापदण्ड, यानि धन, सत्ता एवं ताकत (मुख्य तीन आयामी कारपोरेट उद्देश्य) को अपनाता है। इस संबंध में हमारा मुख्य कार्य उपर्युक्त अर्द्ध सत्य को प्रकृति-मानव हितैषी, मसलन, पर्यावरणीय टिकाऊपन, समता (आय में 1:5 के फर्क के साथ), उत्पादकता, लोकतंत्र एवं पारदर्शिता के 5 स्तरीय वास्तविक सिद्धान्तों से तुलना करके नकारना चाहिए। लेकिन यह लोगों से हमारी शृंखलाबद्ध अन्तरक्रिया करने के बाद हो पाएगा, उसमें कुछ समय लगेगा।

63. जहां तक जन जागृति की मुहिम का सवाल है, इसे इन सामाजिक समूहों के बीच शुरूआत करने की आवश्यकता है जो मौजूदा व्यवस्था द्वारा नजरअन्दाज किए गए हैं तथा जिनके हित प्रकृति–मानव हितैषी कार्यक्रम से मेल खाते हैं। ये समूह मुख्य तौर पर है, गांव और शहर के गरीब, बेघर, बेरोजगार, विधवाएं, महिलाएँ, (जो गरीब तबके की हों), कामकाजी बालक, लड़कियां, अपंग, सफाई कर्मचारी, खेत मजदूर, बन्धक मजदूर, असंगठित मजदूर (जैसे निर्माण में लगे मजदूर, रिक्शा चालक, आदि), जनजाति, कैदी, विचाराधीन कैदी, बूढ़े लोग (जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी न हो), लंपट तत्त्व (जैसे कि भिखमंगे, आदि), फैक्ट्री मजदूर, कार्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी, अल्पसंख्यक आदि। इन समूहों को मोटे तौर पर चार किस्मों में

वर्गीकृत किया जा सकता है (i) समूह-विशेष (ii) क्षेत्र-विशेष (iii) समस्या-विशेष और (iv) टेड्र यूनियन विशेष।

64. किसी उपेक्षित लक्षित समूह का कार्यक्रम तैयार करते समय यह ध्यान रखना समान रूप से वांछित है कि इसके अन्य सम्बन्धित लक्षणों–यानि, राजनीतिक प्रतिबद्धता, सांस्कृतिक मूल्य, प्रचलित मन:स्थिति, आदि–पर ध्यान रखा जाए।

65. प्रत्येक लक्षित समूह की सामाजिक चेतना को जगाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी उनसे बातचीत सरल एवं आसानी से समझ में आने वाली हो जो इन तीन पहलुओं–यानि, समूह-विशेष की समस्याओं की उपेक्षित स्थिति, प्रत्येक क्षेत्र और राज्य के लोगों से सम्बन्धित मुख्य समस्याओं की बदइन्तजामी तथा आम तौर पर आम लोगों को एवं खास तौर पर लक्षित समूहों को राजनीति, विकास, संस्कति व सुरक्षा के क्षेत्र में प्रकृति-मानव हितैषी कार्यक्रम कैसे सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा–को जोड़े।

66. निर्धारित लक्षित समूहों के साथ कुछ अवसरों पर थोड़ी मुलाकात के बाद अगला तार्किक कदम उनकी अपनी अगुवा टीम का चुनाव कराया जाना चाहिए, जिससे इन समूहों के बाकी बचे सदस्यों को और आगे लामबन्द करने का कार्य पूरा किया जा सके।

67. निश्चित स्तर पर सामाजिक जागृति और संगठन विकसित होने पर प्रत्येक लक्षित समूह से सम्बन्धित समस्याओं को सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष रखा जाना चाहिए तथा जनमत के दबाव का इस्तेमाल करते हुए उन समस्याओं को हल करवाया जाए। मुद्दों को उजागर करने के लिए तथा उनको हल करवाने के लिए हमारा रास्ता तर्कसंगत, शान्तिपूर्ण एवं सहयोगात्मक होना चाहिए।

(ब)

68. आम जनता को गोलबन्द करने के लिए प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन (एन एच सी पी एम) निम्न मुद्दों को हाथ में लेगा–

69. प्रकृति-मानव केन्द्रित मॉडल के साथ अन्य धारणाओं की तुलना एवं भेद करके देखा जाए तथा लोगों को उनके बीच का अन्तर को समझने योग्य बनाना।

70. वंचित एवं पीड़ित जनता को प्रकृति-मानव केन्द्रित कार्यक्रम के यथार्थवादी एवं तर्क आधारित सिद्धान्तों से लैस करने का प्रयास करना।

71. प्रकृति-मानव केन्द्रित कार्यक्रम की राजनीति, आर्थिकता, संस्कृति एवं सुरक्षा के सिद्धान्तों की रोशनी में विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करके जनता की समझ को

बढ़ाना।

72. विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं–जैसे ग्रीन हाउस गैसों की खतरनाक मात्रा को कम करने, बढ़ते प्रदूषण और घटते जल संसाधनों, खेती योग्य भूमि के स्तर में गिरावट और भूमि-क्षरण, बड़े स्तर पर वनों के कटाव, बहुत-सी जैव-प्रजातियों के विलुप्त होने, खनिजों व अन्य प्राकृतिक उत्पादों के अति उपभोग और बर्बादी जैसी समस्याओं के उचित प्रबन्धन और उन्हें विकसित करने के प्रभावी कदम उठाने के लिए जनता को सरकार पर दबाव डालने के लिए गोलबन्द करना।

73. सरकार जनता को न्याय प्रदान करे, इस हेतु सरकार पर दबाव डालने के लिए जनता को तैयार करना ताकि तेजी से बढ़ती हुई सामाजिक बुराइयों, जैसे असमानता और गरीबी, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मानव अधिकारों के उल्लंघन, पर्यावरणीय और मानवीय विकास पर धन के विषयों, सत्ता और बल जैसे कारपोरेट अभिमुख प्रेरणादायक फार्मूलों और प्रोत्साहक प्रमेयों के नकारात्मक प्रभावों से जनता को बचाया जा सके।

74. सीमित पर्यावरणीय एवं मानवीय संसाधनों का टिकाऊ तरीके से उपयोग करना।

75. नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक या व्यक्ति मानव समुदाय तक और मानव समुदाय से व्यक्ति तक एक टिकाऊ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना।

76. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मौजूदा (या पारम्परिक) जीविकोपार्जन व्यवसाय की सुरक्षा करना और रोजगार के नये और अधिक अवसर प्रदान करना।

77. लिंग समानता के लिए महिला अधिकारों को मानव अधिकारों की तरह समझने और महिलाओं को वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से शक्ति शाली बनाने के लिए समाज को सवंदेनशील व जागरूक करना।

78. संगठित और असंगठित श्रमिकों को सशक्तिकरण करना।

79. सामाजिक आन्दोलनों में लगे सभी संगठनों (स्वयंसेवी या गैरी-सरकारी संगठनों) और भारत या दुनिया के किसी भी देश में जनता के बीच काम करने वाले लोगों से भाईचारे के संबंध बनाना।

80. लोगों को मानसिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनाना।

81. विभिन्न तौर-तरीकों से पर्यावरणीय एवं मानवीय समस्याओं पर शान्तिपूर्ण आन्दोलनों को शुरू करना जैसे जुलूसों और जनसभाओं को संगठित करना, संगोष्ठियों

और वर्कशॉपों का आयोजन, भिन्न-भिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजिक करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तावित करना, विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

82. विभिन्न राष्ट्रों की जनता के बीच, विभिन्न राष्ट्रीयताओं, सांस्कृतिक पहचानों, सामाजिक वर्गों, व्यवसायों, इत्यादि के बीच भाईचारा, दोस्ती, सदाशयता, सहयोग, आपसी सम्मान के संबंधों को मजबूत करना।

83. विश्व के समस्त जन आन्दोलनों के साथ पक्की एकता को अभिव्यक्त करना।

84. सभी प्रकार के अंधविश्वास और प्रतिक्रियावादी विचारों और व्यवहार को मानने से इंकार करना।

85. विश्व के संसाधनों को पर्यावरणीय प्रोत्साहन एवं मानवीय विकास के लिए उपयोग करना।

86. शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए जनता और पर्यावरण समर्थक दृष्टिकोण अख्तियार करना और कारपोरेट व्यवसाय की प्रचलित खुदगर्जी आधारित शिक्षा एवं खराब स्वास्थ्य की नकारात्मक भूमिका को उजागर करना।

VIII. यही कार्य करने का समय है

87. आप प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन के सदस्य बनकर, अपनी टिप्पणियां और राय भेजकर तथा अपनी विशेषज्ञता का लाभ देकर इसमें भागीदार बन सकते हैं।

88. प्रकृति-मानव केन्द्रित राह अपनाओ। प्रकृति-मानव केन्द्रित जन-आन्दोलन की पहलकदमियों से जुड़ो, क्योंकि वे पर्यावरण और जनता के हित में हैं।

प्रकति–मानव केन्द्रित जन आन्दोलन
की
भारतीय कमेटी द्वारा प्रकाशित